

कार्य का नामः— नेहरु पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षणर्थीयों के प्रशिक्षण हेतु 0.98

है 0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा

प्रधानाचार्य
PRINCIPAL
एप्रोड्यूसर
N.I.M., UTTARKASHI
उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी
टक्कौर-रेंज, भटवाडी
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी